कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.
जल भवन, बाणगंगा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल—462003
दूरभाष : (0755) 2779411, 2779412 ईमेल : encph@nic.in, बेवसाईट : www.phed.mp.gov.in

क्रमांक/ 218 .... स्था./अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2025

भोपाल,दिनांक 13/06/2025

//कार्यालयीन आदेश//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.7275/2019 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एम.पी.ब्रांच विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक/भोपाल दिनांक 30.06.2014 तथा ज्ञाप क्रमांक एफ-8-4/2001/आ.प्र./एक(पार्ट) दिनांक 03.07.2018 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित/आरक्षित पदों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 उपयंत्री,सहायक मानचित्रकार,तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024 में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल के पत्र क्रमांक 02-77/2024/08/प-2/7524/2024 दिनांक 06.12.2024 अनुसार प्रदत्त परीक्षा परिणाम के अनुक्रम में प्रावीण्य सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) के पद पर कॉलम-(04) में दर्शायें स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम,2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तो के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

स.क्र.	प्रावीण्य सूची श्रेणी व स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय
01.	02.	03.	04.
1	UR/NIL/OPEN/E&M/VH/01	श्री संदीप कुमार मिश्रा पिता श्री अरुण कुमार मिश्रा निवासी- 94 जटहाहा टोले रामनगर जिला - सतना, पिन- 485881, मध्य प्रदेश, मो. नं- 8130718049	परियोजना उपखण्ड क्र-1 जबलपुर, जिला- जबलपुर
2	SC/NIL/OPEN/E&M/VH/02	श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार पिता श्री रमेश प्रसाद अहिरवार निवासी -192 पावर हाउस के पास वार्ड नंबर 15 पलेरा जिला -टीकमगढ़ पिन - 472221 मध्य प्रदेश, मो. नं -9893938194	लो०स्वा०यां०सिविल उपखण्ड टीकमगढ, जिला- टीकमगढ

Desktop/D:\For Roster\Handicaped_BHarti_2024\2025ready to launch (Recovered) 12-06-.docx

निरंतर-पृ....

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.
जल भवन, बाणगंगा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल–462003
दूरभाष : (0755) 2779411, 2779412 ईमेल : encph@nic.in, वेबसाईट : www.phed.mp.gov.in

स. क्र.	प्रावीण्य सूची श्रेणी व स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय
01.	02.	03.	04.
3	UR/NIL/OPEN/E&M/ VH/03	श्री प्रहलाद सिंह जाट पिता श्री दिलीप सिंह जाट निवासी- 705, हरि सिंह का बगीचा गुलाब गंज कैंट गुना जिला - गुना पिन- 473001, मध्य प्रदेश, मो. नं- 8871942466	लो०स्वा०यां०सिविल उपखण्ड गुना, जिला-गुना
4	UR/NIL/OPEN/E&M/ MD/02	श्री योगेश मेश्राम पिता श्री राम सिंह मेश्राम निवासी- 56, वार्ड क्रमांक-06, ग्राम मगरकठा बरघाट जिला - सिवनी, पिन- 480667 मध्य प्रदेश, मो. नं -9713354126	लो०स्वा०यां०सिविल उपखण्ड मण्डला, जिला-मण्डला
5	OBC/NIL/OPEN/E&M/ MD/04	श्री संतोष कुमार बर्बन पिता श्री रमेश निवासी- मकान नम्बर 234 परमंडल में पीओएस परममंडल मुल्ताई, जिला - बैतूल, पिन- 460661 मध्य प्रदेश, मोबाईल नं- 9039761286	लो०स्वा०यां०सिविल उपखण्ड विदिशा, जिला-विदिशा

यह नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन होगी :-

1 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम, 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तो के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

2 मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-7-19/19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 की कंडिका-2.6 के प्रावधान अनुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जॉच कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिलें के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्य करायी जाए एवं कंडिका-2.7 के प्रावधान अनुसार मूक-बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड से बैरा टेस्ट (BERA TEST) करवाना अनिवार्य है।

निरंतर-पृ....

3 अभिलेख सत्यापन में अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन के दौरान संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024 अन्तर्गत आवेदन की अंतिम तिथी दिनांक 19-08-2024 से 01 वर्ष से अधिक पुराना (अर्थात् दिनांक 20-08-2023 के पूर्व जारी) होने की स्थिति में वर्तमान में जारी आय प्रमाण-पत्र नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन-क्रिमिलेयर) का हस्तलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है,उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमिलेयर) का डिजीटल प्रमाण-पत्र नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा।

4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

5 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम,1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम, 1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।

6 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

7 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003/नियम-चार भोपाल दिनांक 13-04-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना, 2005 लागू होगी।

8 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 व मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्ते तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

9 चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंध में प्रतिकूल स्थिति या गडबडी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी ।

10 अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर अपनी उपस्थिति सूचना के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र/स्थाई निवासी प्रमाण पत्र डिजिटल प्रति/विकलांगता प्रमाण-पत्र मूल एवं डिजिटल तथा उनकी छायाप्रतियाँ प्रस्तुत कर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करवाना आवश्यक होगा । जो मध्यप्रदेश,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,(अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्ते तथा भरती) नियम 1976 एवं 2011 अद्यतन संशोधित के अनुसार पद हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी ।

11 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।

12 अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवाकाल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण)नियम 1965 का पालन करना होगा ।

13 मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्ते यथावत प्रभावशील होगी एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्ते एवं आदेश यथावत लागू होंगे ।

14 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है,उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की समयावधि/पदग्रहण अवधि के अन्दर सभी औपचारिकताओं सहित अपने पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं पदग्रहण काल की अवधि उपरांत कोई वृद्धि नहीं की जावेगी ।

13/6

(एस.के.अंधवान)
प्रमुख अभियंता

4951-A

पृष्क्र. ~~4950~~..... स्था./अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2025
भोपाल,दिनांक 13/06/2025

प्रतिलिपि :-

1 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ,भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3 महालेखाकार,(ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार,ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4 आयुक्त,कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।

5 नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

6 निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।